न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- प्रदीप सिंह सांगावत(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः- डिकी 57 सन 2023

पंजीयन दिनांकः- 27.7.2023

1.कंचनबाई पत्नी भेरूलाल नाई मृतक के बजाय-

1/1राजीबाई पुत्री भेरूलाल नाई निवासी-मण्डफिया ।

1/2 जमनाबाई पुत्री भेरूलाल नाई निवासी-मण्डफिया ।

1/3 पुष्पाबाई पुत्री भैरूलाल नाई निवासी-मण्डफिया (सांवलियाजी)तहसील भदेसर जिला-चित्तौडगढ ।

-अपीलांटगण

विरूद्व

1.नारायणलाल पिता नाना नाई निवासी-मण्डफिया ।

2.दिनेश कुमार पिता नारायणलाल नाई निवासी-मण्डफिया ।

3.नितिन पिता रामदास वैष्णव निवासी-मण्डफिया ।

4.शोभादेवी पत्नी रामदास वैष्णव निवासी-मण्डफिया ।

5.मुकेश कुमार पिता विजयकुमार उर्फ विरेन्द्रकुमार मेहता निवासी-भीण्डर तहसील भीण्डर ।

6.कालू पिता नाना नाई निवासी-मण्डफिया ।

7.लीलादेवी पत्नी भंवरलाल खटीक निवासी-मण्डफिया ।

8.कैलाशचन्द्र पिता हीरालाल सोनी निवासी-मण्डफिया ।

9.नरेन्द्रकुमार पिता राधेश्याम वैष्णव निवासी-हिंता तहसील भीण्डर ।

10.नरेन्द्रकुमार पिता कन्हैयादास वैष्णव निवासी-मण्डफिया (सावंलियाजी)तहसील भदेसर ।

11.राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर ।

-रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 26/2019 निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.1.2022

उपस्थित-श्री चन्दनमल जणवा-अधिवक्ता अपीलांट
श्री छोगालाल जाट-अधि.रेस्पो.1,3,46,7
श्री खूमराज कुमावत-अधि.रेस्पो-5
श्री राधेश्याम गोस्वामी-अधि.रेस्पो.8,9,10
श्री पूरणमल स्वर्णकार-राज.अधिवक्ता रेस्पो.11

निर्णय

दिनांक 18.10.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 वादीगण ने एक वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-53-188 के अन्तर्गत मोजा गिदाखेडा में रेस्पोडेन्टगण वादीगण/प्रतिवादीगण अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 111 की आराजी नम्बर 517,518 कुल किता-2 रकबा 0.77 हैक्टेयर खाता संख्या 176 की आराजी नम्बर 519 रकबा 0.45 हैक्टेयर खाता संख्या 203 की आराजी नम्बर 522 रकबा 0.31 हैक्टेयर के सबंध में प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

24.12.2020 को प्राथमिक निर्णण व डिक्री जारी की गई व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में फर्द बंटवाडा तलब किया जाकर उक्त फर्द बंटवाडे पर बहस सुनी जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटीस जारी किये गये एवं उनकी ओर से अधिवक्ता पैरवी हेतु उपस्थित हुये ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से पेश हुई जिसके लिये अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून मियाद का पेश किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयादशुमार की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस के दौरान निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजियात स्थित होकर मौके पर संयुक्तरूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है । उपरोक्त वर्णित आराजियात में पक्षकार के मध्य विधिवत बंटवाडा नही हो रखा है । जिससे बंटवाडा कराने का वाद पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जा अपीलांटगण की बिना तामील हुये अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एक पक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी व अपीलांटगण की माता कंचनबाई जो कि प्रतिवादी संख्या 2 थी की कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है व प्राथमिक निर्णय व डिक्री में नियुक्त कमिश्नर के द्वारा फर्द बंटवाडा बिना सूचना दिये 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है जिससे अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,4,5,6,7 ने अपनी बहस में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री जो प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में पारित की गयी है व फर्द बंटवाडा कमिश्नर स्वंय के द्वारा अपनने अधीनस्थ कर्मचारियो के साथ रहकर तैयार करवाया गया है जिसमें बंटवाडा नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना होना व आराजी नम्बर 522 जो कि रेस्पोडेन्टगण की बंटवाडरे में रखी गयी है उक्त आराजियात के सबंध में अपीलांटगण का कोई हक व हिस्सा नहीं होना बताते हुये अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधि पूर्ण होना बताते हुये अधीनस्थ विचारण न्यायायलय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधि पूर्ण होना बताते हुये अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से की गयी मौखिक बहस सुनी ओर पत्रावली का विधिपूर्ण अवलोकन किया गया अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 का स्वर्गवास हो चुका था व अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तर्क किये जाने का आवेदन प्रस्तुत हुआ जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.8. 2019 को प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तर्क कर उक्त पत्रावली मे साक्ष्य लिये जाकर दिनांक 24.12.2020 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है अपीलांटगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायायलय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 19.8.2019 व प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2020 के विरूद्व किसी प्रकार की अपील या निगरानी नही की है सीधे ही अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.1.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट संख्या 1 व 2 का नाम फर्द बंटवाडे में व अंतिम निर्णय व डिक्री में

अंकित है व मृतक कंचनबाई काहक व हिस्सा अपीलांट संख्या 1/1 व 1/2 को विचारण न्यायालय द्वारा दिया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है फर्द बंटवाडा भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मूर्तिब किया जाकर तहसीलदार कमिश्नर स्वंय के द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रेषित किया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में कोई बल होना नहीं पाया जाता है । अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 26/2019 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.1.2022 यथावत रखी जाती है । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(प्रदीप सिंह सांमवत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 57/2023/डिक्री पंजीयन दिनांकः- 27.07.2023

1.कंचनबाई पत्नी भेरूलाल नाई मृतक के बजाय-

1/1राजीबाई पुत्री भेरूलाल नाई निवासी-मण्डफिया ।

1/2 जमनाबाई पुत्री भेरूलाल नाई निवासी-मण्डफिया ।

1/3 पुष्पाबाई पुत्री भैरूलाल नाई निवासी-मण्डफिया (सांवलियाजी)तहसील भदेसर जिला-चित्तौडगढ ।

-अपीलांटगण

बनाम

1.नारायणलाल पिता नाना नाई निवासी-मण्डफिया ।

2.दिनेश कुमार पिता नारायणलाल नाई निवासी-मण्डफिया ।

3.नितिन पिता रामदास वैष्णव निवासी-मण्डफिया ।

4.शोभादेवी पत्नी रामदास वैष्णव निवासी-मण्डफिया ।

5.मुकेश कुमार पिता विजयकुमार उर्फ विरेन्द्रकुमार मेहता निवासी-भीण्डर तहसील भीण्डर ।

6.कालू पिता नाना नाई निवासी-मण्डफिया ।

7.लीलादेवी पत्नी भंवरलाल खटीक निवासी-मण्डफिया ।

8.कैलाशचन्द्र पिता हीरालाल सोनी निवासी-मण्डफिया ।

9.नरेन्द्रकुमार पिता राधेश्याम वैष्णव निवासी-हिंता तहसील भीण्डर ।

10.नरेन्द्रकुमार पिता कन्हैयादास वैष्णव निवासी-मण्डफिया (सावंलियाजी)तहसील भदेसर ।

11.राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर ।

-रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 26/2019 निर्णय व डिकी दिनांक 24.01.2022 अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 18.10.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता चन्दनमल जणवा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,4,6,7 की ओर से अधिवक्ता छोगा लाल जाट, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता खूमराज कुमावत, रेस्पोडेन्ट संख्या 8,9,10 की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से राजकीय अधिवक्ता पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर का प्रकरण संख्या 26/2019 निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.1.2022 यथावत रखी जाती है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... ..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ